मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2002

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर,
समस्त सम्भागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत, म0प्र0.

विषय :- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग के पदों को पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान ।

--------00--------

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को लोक सेवा एवं पदों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व Adequate representation देने की मंशा से भारत सरकार द्वारा संविधान में 81वें संशोधन के तहत् संविधान के अनुच्छेद 16 (4-ख) में किये गये प्रावधान तथा 82वें संशोधन के तहत् अनुच्छेद-335 में जोड़े गये परन्तुक के प्रावधान के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2002 (क्रमांक 10 सन् 2002) अधिनियमित कर दिनांक 12-5-2002 से प्रभावशील किया गया है । यथासंशोधित आरक्षण अधिनियम, 1994 के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार है :

(1) **स्थापन से अभिप्राय** :- "स्थापन" से अभिप्रेत है राज्य सरकार का या तत्समय प्रवृत्त राज्य के किसी अधिनियम के अधीन गठित किसी स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी प्राधिकरण का या किसी विश्वविद्यालय का या किसी ऐसी कम्पनी, निगम या किसी सहकारी सोसायटी का, जिसमें समादत्त अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा धारित है या किसी संस्था का जो राज्य सरकार से सहायता अनुदान या नकद अनुदान प्राप्त कर रही है, कोई कार्यालय और उसके अन्तर्गत ऐसा स्थापन आता है जिसमें कार्यभारित या आकस्मिकता निधि से भुगतान किया जाता है और ऐसा स्थापन जिसमें आकस्मिक नियुक्तियाँ की जाती है। आरक्षण अधिनियम १९९४ की धारा-२(ख)

आरक्षण अधिनियम, 1994 के प्रावधान उपरोक्त परिभाषित स्थापन पर लागू है।

नोट- (अ) सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक 432 859 1 हआसे-86 दिनांक 29 जुलाई, 1986 द्वारा तदर्थ नियुक्तियों पर भी आरक्षण लागू है।

(ब) आरक्षण के प्रावधान संविदा नियुक्तियों पर भी लागू होंगे ।

(2) **आरक्षण :-(अ) राज्य <u>स्तर पर :-</u> दिनांक** 13-5-2002 से प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग के पदों में राज्य स्तर पर किसी भरती वर्ष में उद्भूत होने वाली रिक्तियों के संबंध में निम्नलिखित आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है :- आरक्षण अधिनियम, १९९४ की धारा-५ (दो) (एक)

(I)	अनुसूचित जाति	16 प्रतिशत
(II)	अनुसूचित जन जाति	20 प्रतिशत
(III)	अन्य पिछड़े वर्ग	14 प्रतिशत

(ब) जिला स्तर <u>पर :-</u> अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 7-85-98-आ.प्र.-एक, दिनांक 25 अक्टूबर, 2000 द्वारा जिलेवार आरक्षण प्रतिशत निर्धारित किया गया है, वह जिला स्तरीय संवर्गों के लिये लागू रहेगा । इसके आधार पर विभागीय अधिसूचना क्रमांक एफ 6 1/2002/आ.प्र.-एक दिनांक 28 अगस्त, 2002 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 में संशोधन कर नियमों की अनुसूची-'तीन' में नया जिला स्तरीय आरक्षण रोस्टर जारी किया गया है।

(3) **बैकलाग और/या कैरिफारवर्ड पद एक अलग सुभिन्न समूह के रूप में माने जाएंगे और उन पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा लागू नहीं होगी :-**

संविधान के 81वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 16 (4 ख) में किये गये प्रावधान के अनुसार, जब कभी सीधी भरती के समस्त मामलों में पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित रिक्तियाँ बिना भरी रह गई हैं, तब बैकलाग और/या अग्रणित रिक्तियां पृथक तथा सुभिन्न समूह के रूप में मानी जायेंगी और उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या पर आरक्षण की पचास प्रतिशत अधिकतम सीमा का अवधारण करने के लिए उस वर्ष की, आरक्षित रिक्तियों के साथ नहीं मानी जाएंगी, जिसमें वे रिक्तियां भरी जा रही है । दूसरे शब्दों में, आरक्षित रिक्तियों को भरने पर पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा केवल उन्हीं आरक्षित रिक्तियों पर लागू होगी जो चालू वर्ष में उद्भूत हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के लिये पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों की बैकलॉग/अग्रणित आरक्षित रिक्तियाँ पृथक तथा सुभिन्न समूह मानी जायेंगी और पचास प्रतिशत की अधिकतम सीमा के अध्यधीन नहीं होगी। आरक्षण अधिनियम, १९९४ की धारा-४ (तीन) (क)

(4) **पद जिस प्रवर्ग के लिये आरक्षित है, उसी प्रवर्ग से भरे जायेंगे अन्य प्रवर्ग से नहीं-** आरक्षित प्रवर्ग की ऐसी रिक्तियाँ जो बिना भरी रह जाती है तो उन्हें उस प्रवर्ग जिसके लिए पद या पदों को आरक्षित किया गया है, से भिन्न व्यक्तियों द्वारा भरे जाने के लिये किसी भी रीति में अनारक्षित नहीं किया जाएगा । आरक्षण अधिनियम, १९९४ की धारा-४ (तीन) (ख)

(5) **चयन के लिये न्यूनतम अंकों में शिथिलीकरण :-** राज्य सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के पक्ष में राज्य के

कार्यकलाप से संबद्ध सेवाओं या पदों पर किसी वर्ग या वर्गों की भर्ती के मामलों में आरक्षण के लिये किसी परीक्षा के अर्हकारी अंकों को शिथिल करने हेतु उपबंध कर सकेगी।

आरक्षण अधिनियम, १९९४ की धारा-४ (४-क)

(6) चयन/साक्षात्कार समिति में प्रतिनिधित्व :- चयन/साक्षात्कार समिति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग का एक सदस्य होना अनिवार्य है । अत: यदि सीधी भरती द्वारा भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन/साक्षात्कार समिति की अध्यक्षता करने वाले सदस्य को छोड़कर नामनिर्दिष्ट सदस्य, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब उसी स्तर के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के एक सदस्य चयन/साक्षात्कार समिति में सम्मिलित किये जाएंगे और चयन/साक्षात्कार समिति के सदस्यों की संख्या उस सीमा तक बढ़ाई जाएगी ।

आरक्षण अधिनियम, १९९४ की धारा-८ ।

टीप :- चूँकि वर्तमान में विशेष भरती अभियान के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/ कैरिफारवर्ड पदों की भरती की जा रही है इसलिये चयन/साक्षात्कार समिति में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग का एक सदस्य अनिवार्य रूप से रखा जाए और चयन/साक्षात्कार समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जाए ।

(7) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकरण :- प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी, उसके द्वारा जारी किये जाने वाले नियुक्ति आदेश पर एक प्रमाण पत्र इस आशय का पृष्ठांकन करेगा कि उसने मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के उपबंधों का और अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य सरकार द्वारा जारी किये अनुदेशों का अनुपालन किया है तथा उसे उक्त अधिनियम की धारा-6 की उपधारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

आरक्षण अधिनियम, १९९४ की धारा-१४-क

(8) शास्ति का प्रावधान :- कोई नियुक्ति प्राधिकारी जिसे धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन उत्तरदायित्व सौंपा गया है, ऐसी रीति में जानबूझकर कार्य करता है जो इस अधिनियम के प्रयोजनों का उल्लंघन करने या उन्हें विफल करने के लिए आशयित है या धारा 14-क के निबंधनों के अधीन मिथ्या प्रमाण पत्र का पृष्ठांकन करता है, नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसा कृत्य उस पर लागू आचरण या सेवा नियमों के अधीन अवचार समझा जाएगा और ऐसे अवचार के लिए उक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाहियों के साथ-साथ सक्षम अधिकारिता वाले किसी [illegible] द्वारा [illegible] किए जाने पर [illegible] और वह दोषसिद्धि पर कारावास से [illegible] सकेगा या जुर्माने से [illegible] रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

आरक्षण अधिनियम, १९९४ की धारा-८(१)

लोक सेवा एवं पदों में सीधी भरती से भरे जाने वाले पदो में 'आरक्षण अधिनियम, 1994' के प्रावधानों के समुचित कार्यान्वयन के लिये राज्य शासन निम्नलिखित निर्देश प्रसारित करता है :-

1- **रोस्टर** :- मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 के अन्तर्गत अधिसूचना कमांक एफ 6 1/02/आ.प्र./एक दिनांक 23 अगस्त, [illegible] पदों/सेवाओं के लिये राज्य स्तर पर की जाने वाली भरती के लिये अनुसूची 'एक' एवं अनुसूची- 'दो' तथा

जिला स्तर पर की जाने वाली भरती के लिये अनुसूची-'तीन' में नये रोस्टर जारी किये गये है ।

(अ) **राज्य स्तरीय पद/ संवर्ग :-** राज्य स्तरीय पदों/ संवर्गों के लिये संशोधित 100 बिन्दू रोस्टर की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'एक' एवं 'दो' पर है ।

(ब) **जिला स्तरीय पद/ संवर्ग :-** जिला स्तरीय पदों/ संवर्गों के लिये संशोधित 100 बिन्दू रोस्टर की प्रति संलग्न परिशिष्ट-'तीन' पर है ।

2- **रोस्टर के संधारण की प्रकिया :-**

प्रत्येक नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा सीधी भरती से भरे जाने वाले पृथक-पृथक पदों/संवर्गों के लिये संवर्ग में स्वीकृत कुल स्थाई/ अस्थाई पदों के विरूद्ध कार्यरत लोक सेवकों को सम्मिलित करते हुये रोस्टर बनाये जाएं । पद/ संवर्ग में कार्यरत समस्त लोक सेवकों के नाम इस ज्ञाप के संलग्न परिशिष्ट-'एक', 'दो' एवं 'तीन' (जो भी लागू हो) में दर्शित रोस्टर **में उनके निर्धारित** बिन्दुओं **(अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा** वर्ग) **के सामने पद/संवर्ग** में नियुक्त **वरिष्ठतम लोक सेवक से प्रारम्भ करते** हुए **कमशः अंकित किए जाएँ।** अर्थात् नियमित नियुक्तियों के साथ साथ अनुकम्पा/विशेष अनुकम्पा, दैनिक वेतन भोगी/तदर्थ के नियमितीकरण/संविलियन द्वारा नियुक्ति प्राप्त लोक सेवक जिस प्रवर्ग का होगा उसे रोस्टर में उसी प्रवर्ग के लिये निर्धारित बिन्दु के समक्ष दर्शाया जाएँ । रोस्टर के जो बिन्दु अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित है, उसके विरूद्ध यदि इस प्रवर्ग के व्यक्ति कार्यरत नहीं है, तो उस बिन्दु को रिक्त दर्शाया जाए (जैसे-रोस्टर का बिन्दु कमांक-2 अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित है किन्तु इस बिन्दु के विरूद्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त कर नियुक्त इस प्रवर्ग का लोक सेवक कार्यरत नहीं है, तो इस बिन्दु को अनुसूचित जनजाति के लिये रिक्त दर्शाया जाय)। **आरक्षित प्रवर्ग के जो लोक सेवक अपनी योग्यता (मेरिट) के आधार पर चयनित हुये है, उनके नाम आरक्षित बिन्दुओं के विरूद्ध नहीं दर्शाये जाए ।**

अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण दिनांक 17-12-1993 से लागू किया गया है । अतः उक्त तिथि या इसके **बाद से नियुक्त** जो **लोक सेवक अन्य पिछड़ा वर्ग के** आरक्षण **का लाभ लेकर नियुक्त हुये है,** उनके नाम नवीन रोस्टर में उनके लिये **आरक्षित बिन्दुओं** के सामने दर्शाये जाए ।

II. विभाग/स्थापना में नियुक्ति के बाद जो लोक सेवक अन्य विभाग/स्थापना में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत है उन्हें मूल विभाग/स्थापना द्वारा संधारित संबंधित पद/ संवर्ग के रोस्टर में दर्शाया जावे ।

III. सामान्यतः संवर्ग में स्वीकृत पदों की संख्या के मान से ही संबंधित संवर्ग का रोस्टर होगा। उदाहरणार्थ- किसी विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ लेखापाल का संवर्ग राज्य स्तरीय है, जिसमें 15 पद स्वीकृत हैं तो 100 बिन्दू रोस्टर के प्रथम 15 बिन्दुओं को सम्मिलित कर लेखापाल संवर्ग का रोस्टर बनाया/संधारित किया जावेगा । इसी प्रकार जिला स्तरीय संवर्ग

में यदि किसी जिला कार्यालय के अधीन सहायक ग्रेड-3 के 10 पद स्वीकृत है तो इस संवर्ग के लिये उक्त जिले के लिये निर्धारित आरक्षण प्रतिशत/आरक्षित प्रवर्गों के लिये निर्धारित आरक्षण बिन्दुओं के अनुसार 100 बिन्दु रोस्टर के प्रथम 10 बिन्दुओं को सम्मिलित कर रोस्टर बनाया/संधारित किया जावेगा।

IV. जिन संवर्गों में पदों की पूर्ति भरती नियमों के प्रावधानों के अनुसार सीधी भरती तथा पदोन्नति, दोनों तरीकों से की जाती है तो ऐसे संवर्गों में सीधी भरती तथा पदोन्नति से भरे जाने वाले पदों का रोस्टर पृथक-पृथक बनाया जावेगा । उदाहरणार्थ- यदि किसी विभाग के अधीन सहायक संचालक के 50 पद स्वीकृत हैं जिसमें से 50 प्रतिशत सीधी भरती से तथा 50 प्रतिशत पदोन्नति से भरे जाते हैं । इस स्थिति में सहायक संचालक के सीधी भरती से भरे जाने वाले 25 पदों का रोस्टर 100 बिन्दू रोस्टर के प्रथम 25 बिन्दुओं को सम्मिलित कर बनाया जावेगा ।

V. जिन संवर्गों/पदों में भरती जिला स्तर से निचले स्तर पर होती है, उन पर संबंधित जिले के लिए बनाया गया आरक्षण रोस्टर लागू होगा, लेकिन ऐसे संवर्गों/पदों का रोस्टर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के कार्यालय में ही उपरोक्तानुसार संधारित किया जाएगा ।

VI. जिन संवर्गों/पदों में सीधी भरती के 100 से अधिक पद स्वीकृत है तो ऐसे संवर्गों में प्रथम 100 पदों के लिये 100 बिन्दू रोस्टर होगा और उसके आगे के पदों के लिये रोस्टर के बिन्दु 101 के आगे निरन्तर जारी रखते हुए संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की सीमा तक विस्तारित किया जायेगा । उदाहरणार्थ- यदि किसी संवर्ग/पद में 105 पद स्वीकृत है तो प्रथम 100 बिन्दू रोस्टर को आगे निम्नानुसार संवर्ग/पदों की स्वीकृत संख्या तक विस्तारित किया जावेगा:-

101. अनारक्षित
102. अनुसूचित जनजाति
103. अनारक्षित
104. अनुसूचित जाति
105. अनारक्षित

VII. उपरोक्त बिन्दुओं के अनुसार रोस्टर संधारण करते समय प्रतिनियुक्ति या अन्य कारणों से कुछ संवर्गों में यह स्थिति बन सकती है कि संवर्ग में स्वीकृत कुल पदों की अपेक्षा रोस्टर बिन्दु अधिक हों । ऐसी स्थिति में भी रोस्टर को तब तक निरन्तर आगे बढ़ाया जा सकेगा जब तक संवर्ग में कार्यरत समस्त लोक सेवकों के नाम उनके लिये निर्धारित बिन्दुओं के सामने अंकित नहीं हो जाते । किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि जिस बिन्दु तक रोस्टर विस्तारित हुआ है, उतने पद स्वीकृत हो गये है ।

VIII. उक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रवर्ग के लोक सेवक के नाम का क्रम प्रभावित होता है तो उससे उसकी वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी क्योंकि यह प्रक्रिया सिर्फ रोस्टर संधारण एवं बैकलाग निर्धारण के लिये है और यह वरिष्ठता सूची नहीं है ।

IX. **मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1998 के नियम 4 में दिनांक 28-8-2002 को किये गये प्रावधान के अनुसार उपरोक्तानुसार संधारित किये गये रोस्टर, स्थापना प्रभारी अधिकारी के**

प्रभार में सुरक्षित रखे जायेंगे तथा प्रभार परिवर्तन/स्थानांतरण पर विधिवत उनका चार्ज दिया/लिया जायेगा ।

3. बैकलॉग :- अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के 'बैकलॉग' से अभिप्रेत है, सीधी भर्ती के समस्त मामलों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षित ऐसी रिक्तियाँ, जो पूर्ववर्ती वर्ष या वर्षों के दौरान किसी भी कारण से भरी जाना शेष रही हों और जो आगामी वर्ष/ वर्षों में एक सुभिन्न समूह के रूप में सीधी भरती से भरी जाना है ।

4 **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग की संगणना :-**

(अ) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति का बैकलॉग निकालने के लिये उपरोक्त कंडिका-2 (पृष्ठ 4-5) के अनुसार संधारित किये गये रोस्टर में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के जो-जो बिन्दु रिक्त दर्शाये गये है, वे उस प्रवर्ग के बैकलॉग के पद होंगे ।

(ब) जिला स्तर पर :- जिला स्तर पर आरक्षित पदों की संगणना इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-1/2002/आ.प्र.-एक दिनांक 28 अगस्त, 2002 में जिलेवार निर्धारित आरक्षण प्रतिशत के आधार पर उक्त कंडिका-2 (I) के अनुसार की जाए ।

उक्त बैकलॉग के निर्धारण का अंतिम निर्णय इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 7-7/2001/आर0प्र0/एक, दिनांक 28 मई, 2001 द्वारा गठित बैकलॉग निर्धारण समितियों के समक्ष ही लिया जाए ।

5. एक पदीय संवर्ग (Single post cadre) में आरक्षण :-(I) नियुक्तिकर्ता अधिकारियो की सामान्य धारणा यह है कि 'एकाकी पद' पर आरक्षण लागू नहीं है, यह धारणा सही नहीं है।

स्पष्ट किया जाता है कि जो 'एकाकी पद' नहीं है बल्कि 'एक पदीय संवर्ग' (Single post cadre) है, और Single post cadre पर किसी भी प्रकार से आरक्षण लागू नही होगा । अर्थात् अगर किसी पूरे संवर्ग मे एक ही पद स्वीकृत है तो उसको किसी भी आधार पर आरक्षित नही किया जा सकेगा । वह पद खुली प्रतियोगिता का पद है और इस पद के लिये अनारक्षित और आरक्षित सभी उम्मीदवार दावेदार होंगे । आरक्षित प्रवर्ग के उम्मीदवारों को इस पद की दावेदारी से केवल इसलिये वंचित नही किया जाएगा कि वह पद आरक्षित नहीं है।

नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को यह भ्रम है कि उनके कार्यालय मे कोई पद एक ही स्वीकृत होकर आया है तो उस पर आरक्षण लागू नही होगा । नियुक्तिकर्ता अधिकारियों को भी एक पद आरक्षित किया गया है, तो उस पर आरक्षण लागू होगा या नहीं उसका निर्णय शासन स्तर पर विभाग द्वारा लिया जाएगा ।

(11) समस्त पदों की स्वीकृति राज्य शासन स्तर से ही दी जाती है इसलिये शासन स्तर पर ही यह देखा जाय कि कौन सा पद 'एक पदीय संवर्ग' मे आता है और कौन से संवर्ग में एक से अधिक पद स्वीकृत किये गये है । यदि संवर्ग में एक से अधिक पद स्वीकृत हैं और नीचे के कार्यालयों को एक-एक, या दो-दो पद आवंटित किये गये हैं तो ऐसे सभी पदों को राज्य शासन स्तर से ही आरक्षित/अनारक्षित कर सक्षम प्राधिकारी/कार्यालय को आवंटित किया जाए । इस प्रकार के संवर्गों के पदों की राज्य स्तर पर ही गणना कर उक्त कंडिका-2(1) के अनुसार राज्य स्तर पर ही रोस्टर संधारण किया जाए ।

5. **बैकलाग के पदों की पूर्ति :-** सर्वप्रथम रिक्तियों को दो भागों में बाँटा जाय । प्रथम भाग में पूर्व वर्षों की अर्थात् 31 दिसम्बर, 2001 तक की रिक्तियाँ होंगी और दूसरे भाग में चालू वर्ष की अर्थात् 1 जनवरी, 2002 से 31 दिसम्बर, 2002 तक उद्भूत होने वाली रिक्तियाँ होंगी । बैकलॉग की पूर्ति के लिये प्रथम भाग अर्थात पूर्व वर्षो की समस्त रिक्तियों का उपयोग किया जाए । इसके बाद भी यदि बैकलॉग के पद शेष बचते है, तो उसकी जानकारी प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) को दी जाएं।

बैकलॉग के पदों की पूर्ति रोस्टर में सबसे ऊपर रिक्त दर्शाये गये अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के बिन्दु से प्रारम्भ करते हुये की जाए ।

बैकलॉग की पूर्ति हेतु विभागीय प्रशिक्षण की व्यवस्था :- कुछ विभागों में कुछ पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अलावा प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है जैसे ए.एन. एम., एम.पी. डब्ल्यू. आदि। अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवार न मिलने के कारण बैकलॉग की पूर्ति नही हो पाती है तो ऐसे पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार मेरिट के आधार पर जितने बैकलॉग के पद रिक्त है, उतने ही उम्मीदवारों का चयन कर विभाग की ओर से उन्हें प्रशिक्षण दिया जाए। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें नियमानुसार स्टायपण्ड दिया जाए तथा प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने पर उन्हें नियुक्ति आदेश देकर नियमानुसार पदस्थापना दी जाय । चूँकि इनका चयन ही बैकलॉग के पदों पर हुआ है, अत: प्रशिक्षण पूरा होने के बाद इनके पुन: चयन/साक्षात्कार की कोई प्रकिया अपनाने की आवश्यकता नही है ।

1. **आरक्षित प्रवर्ग के व्यक्तियों को राज्य की लोक सेवा/पदो में सीधी भरती में प्राप्त छूट एवं सुविधाएं**

(1) **अधिकतम आयु सीमा में छूट :-** (क) वर्तमान में राज्य शासन की सेवाओं में नियुक्ति के लिये सामान्य अधिकतम आयुसीमा (पुलिस विभाग को छोड़कर) 30 वर्ष निर्धारित है तथा विशेष परिस्थिति में (3+2) कुल 5 वर्षो की विशेष छूट वर्ष 2004 तक के लिये दी गई है । अत: अब वर्तमान में अनारक्षित प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष है ।

(ख) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को लोक सेव एवं पदों पर सीधी भरती से नियुक्ति के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की गई है ।
(सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञाप क्र0 एफ. 3-3/74-3/एक दिनांक 16-3-74)
उक्त आधार पर आरक्षित प्रवर्ग के लिये अधिकतम आयु सीमा निम्नानुसार है :

1	आरक्षित प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के लिये	30+5+5=40 वर्ष
2	आरक्षित प्रवर्ग की महिला उम्मीदवारों के लिये (10 वर्ष की छूट)	30+5+5 +10=50 वर्ष
3	आरक्षित प्रवर्ग की विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये (5 वर्ष की छूट)	30+5+5+10+5=55 वर्ष

पुलिस विभाग के पदों के लिये अधिकतम आयु सीमा गृह (पुलिस) विभाग द्वार समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार रहेगी ।

(ii) **अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंकों में छूट :** मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) नियम, 1998' में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-8-2002 जो म0प्र0 राजपत्र (असाधारण) दिनांक 28-8 2002 में प्रकाशित की गई है, के द्वारा अंत:स्थापित नियम 4-क में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 1 प्रतिशत अंकों की छूट देने का प्रावधान किया गया है । अत: सीधी भरती से भरे जाने वा पदों पर नियुक्ति के लिये यदि कोई न्यूनतम अर्हक अंकों का प्रावधान किया जाता है तो उस अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को न्यूनतम अर्हक अंकों में 10 प्रति की छूट प्रदान की जाए किन्तु उम्मीदवारों का चयन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के f बनायी गई चयन सूची में से 'मेरिट' के आधार पर ही किया जाए।

(iii) **आदिम जातियों (Primitive Tribe) के लिए विशेष सुविधा :-** मध्यप्रदेश सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) f 1998 में इस विभाग की अधिसूचना कमांक एफ 6 1/2002/आ.प्र./एक दिनांक 28-8-2002 अंत:स्थापित नियम 4-ख के अनुसार आदिम जातियों(**Primitive Tribe**) के लिये निम्न विशेष सुविधा दी गई है :-

"यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिण्ड, शिवपुरी तथा सहारिया जनजाति, जिला मण्डला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया तथा बालाघाट में बैगा जनज जिला छिन्दवाड़ा में तामिया विकासखण्ड में भारिया जनजाति के है, संविदा शाला शि किसी भी तृतीय या चतुर्थ श्रेणी के पद के लिए आवेदन करता है, और विहित की गई अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती से संबंधित प्रक्रिया का अनुसरण किए बिना उक्त पद प किया जाएगा ।"

अत: स्पष्ट किया जाता है कि उक्त वर्णित आदिम जातियों के उम्मीदवार जो वर्णित जिलों के मूल निवासी है और किसी भी जिले में संविदा शाला शिक्षक तथा

(अकार्यपालिक) या चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत करते हैं और यदि पद के निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण करते है तो उन्हें इन पदों पर, चयन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया के अनुसरण किये बिना ही नियुक्त किया जावे । यदि उपलब्ध रिक्त पदों के अनुपात में उपरोक्त आदिम जातियों के आवेदकों की संख्या अधिक रहती है, तो ही ऐसी स्थिति में संबंधित पद के लिये निर्धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बना कर नियुक्ति की कार्यवाही की जाएं ।

(IV) **यात्रा व्यय प्रतिपूर्ति की सुविधा :-** अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी के लिये विज्ञापित पदों की परीक्षा में बैठने या साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की सुविधा दी गई है । यह व्यय विभाग के आकस्मिकता निधि मद से किया जायेगा ।

(वित्त विभाग का ज्ञाप क्र0 2030/चार/नि-2 दिनांक 22 6 63, 750/1166/चार/नि-1 दिनांक 10-6-76 तथा डी-129/285/94/नि.1/चार दिनांक 8-4-94)।

9. **बैकलॉग' के पदों की पूर्ति मे दैनिक वेतन भोगी कर्मियों को प्राथमिकता :-** उपरोक्तानुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 'बैकलॉग' के पदों की पूर्ति करते समय यदि विभिन्न विभागों मे कार्यरत दिनांक 31-12-1988 के पूर्व के एवं बाद के और दिनांक 31-12-88 के बाद के हटाए गये उपरोक्त प्रवर्गो के व्यक्ति आवेदन करते है और वे संबंधित पद के लिए समस्त आवश्यक अर्हतायें रखते हैं, तो चयन में उन्हें प्राथमिकता दी जावे । इसके लिये चयन प्रक्रिया मे राज्य शासन के पूर्व सेवानुभव के लिये 5 प्रतिशत अतिरिक्त अंक निर्धारित किए जाएं।

10. **विशेष भर्ती अभियान :-** वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक 17-8/2002/ब-7/चार दिनांक 19 अप्रेल, 2002 द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु शासकीय सेवा में सीधी भर्ती पर लगे प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है। अतः समस्त नियुक्ति प्राधिकारी उपरोक्त कंडिका-4 के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति प्रवर्ग के निकाले गये बैकलॉग की पूर्ति की कार्यवाही तत्काल प्रारम्भ कर समय-सीमा में भर्ती की कार्यवाही पूर्ण करना सुनिश्चित करें । **विशेष भरती अभियान के विज्ञापन जारी करते समय सभी विज्ञापनों के ऊपर "अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों की पूर्ति हेतु विशेष भरती अभियान" अंकित किया जाए** इन पदों का मांगपत्र रोजगार कार्यालयों को दिया जाए और साथ ही यह विज्ञापन 'रोजगार एवं निर्माण' समाचार पत्र एवं स्थानीय स्तर पर सबसे अधिक प्रचलित दैनिक समाचार पत्र में भी अनिवार्य रूप से प्रकाशित किया जाए । आकाशवाणी से भी इसका प्रसारण कराया जावे साथ ही, मांगपत्र की प्रति संबंधित क्षेत्रीय विधान सभा सदस्य को भी अवश्य भेजी जावे तथा विज्ञापनों की प्रति प्रत्येक तहसील/ विकास खण्ड के सूचना पट पर भी प्रदर्शित की जावे ।

11. **विशेष भरती अभियान के लिये चयन कार्यक्रम :-** राज्य शासन के निर्णयानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के 'बैकलॉग' के पदों की पूर्ति दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 तक हो सके अतः इस दृष्टि से विशेष भरती अभियान की चयन प्रक्रिया का कार्यक्रम निर्धारित किया जाता

1	रोस्टर तैयार करना तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बैकलॉग का निर्धारण करना ।	दिनांक 01 अक्टूबर, 2002 तक
2	बैकलॉग के पदों की पूर्ति हेतु रोजगार कार्यालयों को मांग-पत्र भेजना तथा विज्ञापन प्रकाशित करना.	दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 तक
3.	रोजगार कार्यालयों द्वारा सूची भेजना तथा आवेदन पत्र आमंत्रित करना.	दिनांक 30 अक्टूबर, 2002 तक
4	आवेदन पत्रों की छानबीन तथा साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र जारी करना.	दिनांक 15 नवम्बर 2002 तक
5	विज्ञापन से प्राप्त आवेदन तथा रोजगार कार्यालयों से प्राप्त सूची के आधार पर चयन की प्रकिया पूर्ण करना.	दिनांक 15 दिसम्बर 2002 तक
5	चयनित व्यक्तियों का पुलिस वेरीफिकेशन कराना तथा नियुक्ति आदेश जारी करना	दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 तक
6	विशेष भरती अभियान के तहत भरे गये बैकलॉग के पदों की पूर्ति की जानकारी प्रशासकीय विभाग के माध्यम से सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) को भेजना ।	दिनांक 10 जनवरी, 2003 तक

लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों में भी यथासंभव उपरोक्तानुसार कार्यक्रम को लागू किया जाए ताकि बैकलॉग के पदों की पूर्ति निर्धारित अवधि दिनांक 31-12-2002 तक हो सके ।

12. **रोस्टरों का अवलोकन कराना** :- रोस्टर गोपनीय दस्तावेज नहीं है। अतः यदि कर्मचारी संघों के प्रतिनिधि/कार्यालय के कर्मचारी/जनप्रतिनिधि उसका अवलोकन करना चाहते है तो उन्हें इनका अवलोकन कराया जाना चाहिये ।

13. **वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों के निरीक्षण में रोस्टरों का भी अवलोकन करना**:- जब किसी वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्यालय का निरीक्षण किया जाता है तो उसके द्वारा अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा संधारित रोस्टरों का भी निरीक्षण किया जावेगा तथा निरीक्षण प्रतिवेदन मे तद्विषयक टिप्पणी भी अंकित की जायेगी ।

3/ कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,

(एम0 के0 वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक एफ-6-1/2002/आ.प्र/एक भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर, 2002

प्रतिलिपि :

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, भोपाल.
2. सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा, भोपाल.
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
4. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
5. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मंत्रालय, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, सार्वजनिक उपक्रम विभाग, मध्यप्रदेश शासन को सभी संबंधित बोर्डों, निगमों, निकायों आदि में उपरोक्त नियमों को कड़ाई से लागू करने के अनुरोध सहित ।
7. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश शासन को राज्य सरकार के समस्त स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन एवं सरकार के अनुदान प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं तथा समस्त विश्वविद्यालयों की सेवाओं की सेवाओं और पदों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराने के अनुरोध सहित ।
8. प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग/पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग तथा आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण मध्यप्रदेश शासन को उनके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन तथा अनुदान प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं की सेवाओं और पदों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराने के अनुरोध सहित ।
9. प्रमुख सचिव, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, म0प्र0 शासन को समस्त स्थानीय निकायों में उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराने के अनुरोध सहित ।
10. प्रमुख सचिव, आवास एवं पर्यावरण विभाग, म0प्र0 शासन को समस्त साडाओं तथा विकास प्राधिकरणों और उनके अधीन मण्डलों में उक्त प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के अनुरोध सहित ।
11. सचिव, सहकारिता विभाग, मध्यप्रदेश शासन को समस्त संबंधित सहकारी समितियों आदि में उक्त प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही कराने के अनुरोध सहित ।
12. सचिव, तकनीकी शिक्षा तथा जनशक्ति नियोजन विभाग को और उनके स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रणाधीन शैक्षिक संस्थाओं में उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के अनुरोध सहित।
13. सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन को उनके स्वामित्वाधीन तथा नियंत्रणाधीन समस्त शैक्षिक संस्थाओं में उक्त प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के अनुरोध सहित ।
14. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, म0प्र0, इन्दौर.
15. निज सचिव/निज सहायक, मुख्यमंत्री/माननीय मंत्री/माननीय राज्यमंत्री, म0प्र0.
16. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
17. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल.
18. रजिस्ट्रार, म0प्र0 राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
19. महाधिवक्ता/अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश, जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर
20. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल.
21. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मण्डल/ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म0प्र0, भोपाल.
22. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

23. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, म0प्र0, भोपाल
24. उप सचिव, मध्यप्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग कक्ष-7 (1), 7(2) एवं कक्ष 7(3), मुख्य लेखाधिकारी, म0प्र0 मंत्रालय, भोपाल.
25. अवर सचिव, म0प्र0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अधीक्षण/अभिलेख/पुस्तकालय.
26. मुख्य सचिव के उप सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
27. अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल.
28. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन/संघों

की ओर इस निवेदन के साथ प्रेषित कि कृपया वे उक्त परिपत्र के निर्देशों तथा रोस्टर से अपने समस्त संबंधित अधीनस्थों को भी अवगत कराने का कष्ट करें ।

(एम0 के0 वर्मा)
अतिरिक्त सचिव
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग